"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2014—पौष 19, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-242/18/2005. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में, शब्द "द्वितीय श्रेणी" का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 4-242/18/2005.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-242/18/2005 दिनांक 8-1-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 8th January 2014

NOTIFICATION

No. F 4-242/18/2005. — In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendement in Chhattisgarh Urban Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-
In columan (5) of Schedule-III, the words "in second class" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.